SHRI S. S. KOTHARI : Yes.

---

15. 30 hrs.

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

### Sixty-Seventh Report

SHRI P. G. SEN (Purnea) : I beg to move :

> "That this House do agree with the Sixty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 10th November, 1970."

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय इस पर मेरा एक संशोधन है। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें भेजी हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के द्वारा दो तिहाई बहुमत से विधान परिषदों को समाप्त करने के प्रस्ताव पारित हो गए हैं, जिसकी सूचना वहां के स्पीकरों द्वारा लोक सभा को दी गई है, फिर भी यह सरकार अपनी ओर से कोई विधेयक इस सम्बन्ध में पेश नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट को अपनी राय देने का मौका ही नहीं मिलेगा, तथा बहुमत इसके हक में है या खिलाफ है, इसका पता कैसे चलेगा? इस तरह से जब सरकार स्वयं विधान सभाओं के प्रस्तावों को दबाने का काम कर रही है अपने स्वार्थों को लेकर, क्योंकि सत्ताधारी कांग्रेस में इसको लेकर कुछ झगड़े हैं तो क्या प्राइवेट मेम्बर्स कमेटी का यह फर्ज नहीं है...(व्यवधान)...बंगाल में हुआ, पंजाब में हुआ, मध्य प्रदेश में रोका गया। ऐसी हालत में इस कमेटी का फर्ज हो जाता है कि पार्लियामेंट को बहस करने का मौका दे और मेरा ख्याल है कि श्री भोगेन्द्र झा और श्री जार्ज फरनान्डीज के उत्तर प्रदेश विधान परिषद् और बिहार विधान परिषद् के बारे में बिल हैं, लेकिन उनको वरीयता नहीं मिल रही है, बैलेट में नहीं आ पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस रपट को इस कमेटी के पास वापस भेज दिया जाय, इस सिफारिश के साथ कि बिहार और उत्तर प्रदेश की विधान परिषदों को समाप्त करने के बारे में जो विधेयक पेश किए गए हैं, उनको वरीयता दी जाय और पार्लियामेंट को मौका दिया जाय। अगर बहुमत इसके हक में नहीं है तो वह गिर जायगा। लेकिन अगर बहुमत इसके हक में है तो पास हो जायगा, यह झंझट खत्म हो जायगा। इस लिए मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, श्री मधु लिमये ने आपके सामने जो संशोधन रखा है, मैं उसके समर्थन में अपनी आवाज मिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि जहां तक हमारे संविधान का सम्बन्ध है, उस में केवल इस बात की आवश्यकता रहती है कि विधान सभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास कर ले। वह प्रस्ताव न केवल इन दोनों राज्यों की विधान सभाओं द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं, बल्कि उनकी सूचना भी लोक सभा के अध्यक्ष और पार्लियामेन्ट्री अफेअर्स मिनिस्टर और अन्य सभी व्यक्तियों को जिन की संविधान में आवश्यकता है, दी जा चुकी है, इस तरह से सूचना के मामले में भी पूर्ण रूप से कम्प्लायेंस हो चुका है। वास्तव में तो यह सरकार का कर्तव्य था कि इस विषय के विधेयक ला कर और प्राथमिकता देकर पारित कराती, लेकिन जब इस सरकार की नीयत इस मामले में साफ नहीं है, वह किसी राजनैतिक दबाव के तहत उस को नहीं लाना चाहती, उस के सामने कुछ दूसरे हित हैं, जो इस में रुकावट डाल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो दो निजी विधेयक दो माननीय सदस्यों ने पेश किये हुए हैं, हमें उन पर विचार करना चाहिये। जिन विधान सभाओं ने उन प्रस्तावों को पारित किया है,

उनको आदर-सम्मान देते हुये उनके अनुसार यहां पर विधेयक पारित होना चाहिये, वरना ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : इस के लिये आप लोगों को पहले से नोटिस देना चाहिये था ।

श्री मधु लिमये : उसकी कोई जरूरत नहीं है । कहां लिखा हुआ है ?

सभापति महोदय : यह कहां लिखा हुआ है कि जब जो चाहें वह बोलें ।

दूसरी बात—इस में बिहार लेजिस्लेटिव कौन्सिल का मामला है, यू० पी० का इस में नहीं है ।

श्री मधु लिमये : यू० पी० का विधेयक पहले पेश हो चुका है ।

सभापति महोदय : इस में नहीं है । इस समय केवल बिहार का मामला है । जब यह मामला कमेटी के सामने आया तो इसे "ए" कैटेगरी में रखने की बात चली, लेकिन कमेटी ने उस पर एग्री नहीं किया ।

श्री मधु लिमये : इसीलिए इस पर पुनविचार होना चाहिए ।

सभापति महोदय : चूंकि पहले से अमेंडमेंट मूव करने का आपने नोटिस नहीं दिया है, इस लिये इस की परमीशन हम नहीं देते हैं ।

श्री मधु लिमये : इस तरह के मोशनों के लिये पहले से नोटिस की जरूरत नहीं है ।

सभापति महोदय : इसी तरह से यू० पी० के बारे में जिस नम्बर का बिल है, अगर वह लिखे तो इस को कन्सीडरेशन में लिया जा सकता है ।

श्री मधु लिमये : उसने लिखा था, लेकिन कमेटी ने नहीं माना, परन्तु यह सदन तो सार्वभौम है ।

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): When the Report of the Committee on Private Members' Bills' and Resolutions is placed before the House, it is property of the House and it is the opportune time for us to give our comments as to why such an important Bill has not been categorised as A. I have every right to speak on that.

सभापति महोदय : आप को कहने का राइट है, लेकिन यह कमेटी के सामने डिस्कस हो चुका है ।

SHRI P. K. DEO: That has to be revised here.

श्री मधु लिमये : लेकिन जब यह चीज हाउस के सामने आती है तो हम लोगों को हक है कि हम इस के बारे में सिफारिश करें कि इस को वरीयता मिले ।

श्री श्रीचन्द गोयल : सभापति महोदय, मुझे अपनी पूरी बात कहने का मौका नहीं मिला । मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे नियमों के अनुसार इस बात की कतई आवश्यकता नहीं है कि लिखित रूप में पहले से इस के लिए नोटिस या सूचना दी जाय । किसी भी प्रश्न को उठाने के दो तरीके होते हैं, उस के लिये लिखित नोटिस भी दिया जा सकता है, जहां नियमों के अनुसार लिखित नोटिस देने की आवश्यकता है लेकिन ऐसे भी अनेकों विषय हैं, जैसे जब कोई अनियमितता हो रही हो या जब सरकार की ओर से किसी बात को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा हो या समय पर पग उठाने का प्रयत्न न हो रहा हो तो यह हमारा अधिकार है कि उस बात को हम सदन के रूबरु ला सकते हैं ।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जब दोनों राज्यों की विधान सभाओं ने संविधान के नियम के अनुसार दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास किए हुए हैं तो क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं था कि तुरन्त उनके संबंध में विधेयक ला कर इस सदन के सामने पेश करती । लेकिन जैसा मैंने कहा—सरकार की नीयत

[श्री श्रीचन्द गोयल]

साफ नहीं है, वह किसी दबाव के कारण उस विधेयक को लाने में असमर्थ रही है। ऐसी स्थिति में जिन दो माननीय सदस्यों ने निजी विधेयक के रूप में अपने विधेयक यहां पेश किये हुए हैं, हमें उनको प्राथमिकता देनी चाहिये। अगर आज सम्भव नहीं है तो कम से कम जो अगली सिटिंग निजी विधेयकों के संबंध में हो, उसमें हम इन दोनों विधेयकों को लें या सरकार स्वयं इन विधेयकों को लाये और सदन की राय जानी जाय, वरना यह संविधान की अवहेलना होगी।

**श्री द्वा० ना० तिवारी** (गोपालगंज) : सभापति जी, हमारे लायक दोस्त श्री मधु लिमये ने जो बातें कही हैं, वे समूची सत्य से दूर हैं। आज वहां क्या स्थिति है, उसे इस हाउस को जान लेना चाहिये। यह सही है कि बिहार असेम्बली ने एक मर्तबा प्रस्ताव पास किया कि कान्सिल को एबोलिश कर दिया जाय, लेकिन उस के तुरन्त बाद 175 सदस्यों के...

**सभापति महोदय** : तिवारी जी, अभी हम लोग उस को डिस्कश नहीं कर रहे हैं, उसके मैरिट्स पर नहीं जा रहे हैं।

**श्री द्वा० ना० तिवारी** : लेकिन परिस्थिति को समझ लेना चाहिए। जब हाउस को फैसला करना है...

**सभापति महोदय** : हाउस को कोई फैसला नहीं देना है, फैसला हमको देना है।

**श्री द्वा० ना० तिवारी** : हाउस सुप्रीम है, उसको फैसला देना है।

**सभापति महोदय** : अभी हाउस को नहीं देना है। अभी हमारे सामने रखा गया है, हम चाहे उसको एक्सेप्ट करें या रिजैक्ट करें।

**श्री द्वा० ना० तिवारी** : मैं इतना ही कहना चाहता था कि यह समस्या बिहार असेम्बली के सामने पेश है और जैसे ही बिहार असेम्बली का सत्र बुलाया जायगा, इस पर फैसला होगा।

**सभापति महोदय** : आप उसकी मेरिट्स में मत जाइये।

**श्री द्वा० ना० तिवारी** : यह मामला वहां पर विचाराधीन है।...

**सभापति महोदय** : इस बात को आप छोड़ दीजिए।

**श्री द्वा० ना० तिवारी** : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी बिल को वरीयता देना कमेटी पर निर्भर नहीं होता बल्कि उसका बैलट होता है। कमेटी ने सारी बात सुनी और रेजेक्ट किया, ए क्लास में नहीं रखा गया। तो फिर जब कमेटी ने भी रिजेक्ट किया और वह बैलट में भी नहीं आ सका और गवर्नमेंट ने परसों एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही करेंगे—ये सारी बातें हो चुकी हैं तब फिर यहां इतना हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है।

**श्री विभूति मिश्र** (मोतीहारी) : जैसा कि मधु लिमये जी ने कहा है और गोयल जी ने उसका समर्थन किया है कि इस हाउस की सत्ता सार्वभौम है तो इसके सामने उसको लाना चाहिए। जैसा कि उनका कहना है इस हाउस के सामने यह लिया जाना चाहिये। लेकिन वैसे ही मेरा भी अधिकार है यह कहने का कि इस हाउस में इसको नहीं आना चाहिए। ...(व्यवधान)...कारण इसका यह है कि डिप्टी स्पीकर साहब के पास एक कमेटी होती है उसमें, जितने नान-आफिशियल बिल्स या रेजोल्यूशन होते हैं उनकी कैटेगरी ठीक की जाती है, ए, बी या सी, लेकिन वहां पर इसको जो वरीयता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : आप मेरिट्स में न जाइये । जो सवाल उठाया गया है उस पर मैं अपनी रूलिंग दे देता हूं और बात खत्म हो जायेगी । (व्यवधान)...

SHRI P. K. DEO : This House is a supreme body and many a time we have revised the decision of the Business Advisory Committee which allots time and fixes the priority so far as Government business is concerned. So far as Private Members' Bills are concerned, the report of the Private Members' Bills and Resolutions Committee is presented to the House and is put to vote. So, you will have to put it to vote. I support Shri Madhu Limaye's demand that this Bill should be put in category A. The House can change the decision of the Committee.

सभापति महोदय : अब बिहार लेजिस्लेटिव कौंसिल एबोलिशन बिल के कैटेगराइजेशन का जहां तक सवाल है उसको कमेटी आन प्राइवेट मेम्बर्स बिल्स के पास फिर से रेफर कर दिया जाये और जो वहां पर तय होगा वही होगा । क्या आप लोग एग्री करते हैं ?

SOME HON. MEMBERS : Yes, yes.

सभापति महोदय : यह प्रस्ताव आपके सामने है :

> "That this House do agree with the Sixty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 10th November, 1970, subject to the modification that the question of reclassification of the Bihar Legislative Council (Abolition) Bill, 1970, by Shri Bhogendra Jha be referred back to the Committee."

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : अब तो आप ने डिवीजन का एलान कर दिया है । (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Who has moved the motion ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : सब आदमी बोल रहे हैं । यह आदत छोड़ दीजिए । मैं कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता । इनकी आदत हो गई है कि सब खड़े हो जाएंगे । अब यह आदत आप छोड़ दीजिए । शुक्ला जी को मैं ने बोलने को कहा है ।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I want to know who was moved the motion before the House.

सभापति महोदय : मिस्टर मधु लिमये ने इस पर ओबजेक्शन किया और तब मैं ने हाउस के सामने यह बात रखी थी और वह आलरेडी हाउस में कैरी आउट हो गया था इस लिए यह रेज्यूलूशन आया और अब हाउस की राय जानने के लिए डिवीजन हो रहा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : इस से पहले कि आप इसे मतदान के लिये रखें मैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि आप इसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते । इस में आपत्ति क्या है । वह कमेटी को फिर चला जाए ।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : यह जो रेज्यूलूशन आया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के प्रस्ताव को मानने के लिए, इस पर श्री मधु लिमये ने जो एमेंडमेंट दिया पहले तो वह मूव होगा ।

सभापति महोदय : वह एमेंडमेंट मूव हुआ और केरी आउट हो गया (व्यवधान) उस पर किसी ने ओबजेक्शन नहीं किया ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : हमने ओबजेक्शन रेज किया था और 'नो' कहा ?

सभापति महोदय : आप ने जो चैलेंज किया, तभी तो वोटिंग ले रहे हैं, लेकिन मधु लिमये जी ने जो कहा, उस पर वोट लिए गये और उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : हम ने उस पर भी औबजेक्शन किया था।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): Is it the amendment as moved by Shri Madhu Limaye? When did you put it to the vote?

MR. CHAIRMAN : I put it to the vote, और वह केरी आउट हो गया था।

श्री द्वा० ना० तिवारी : हमने उस पर भी ओवजेक्शन किया था। मान लीजिये यह पास नहीं होता तो क्या होगा।

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): We don't want Division on this.

MR. CHAIRMAN : I will read it. The question is :

"That this House do agree with the Sixty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 10th November, 1970, subject to the modification that the question of re-classification of the Bihar Legislative Council (Abolition) Bill, 1970, Shri Bhogendra Jha, be referred back to the Committee."

*The motion was adopted.*

---

15.55 hrs.

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of article 16)

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of the Seventh Schedule)

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

MR CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

---

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of article 74)

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

MR CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted*

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

---

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 12-11-1970.